न्यायालय, सत्र न्यायाधीश, रामपुर।

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–167/2026

CNR No.UPRP010007562026

(पंजीयन सं० 293/2026)

राजू पुत्र सोमपाल, निवासी ग्राम गंगापुर कदीम, थाना कैमरी, जिला रामपुर ।

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार

धारा–85, 80(2)BNS
व धारा 3/4 द०प्र०अ०
थाना–कैमरी, जिला रामपुर।
अ०सं० 179/2025

आदेश

अभियुक्त/प्रार्थी राजू की ओर से यह जमानत प्रार्थना पत्र शपथकर्ता सोमपाल ने इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया है कि अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके अलावा कोई जमानत प्रार्थना पत्र किसी अन्य न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में न तो योजित किया है और न ही लम्बित है।

प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्त/प्रार्थी की ओर से इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी को उपरोक्त आपराधिक प्रकरण में झूठा व फर्जी अभियुक्त बनाया गया है ।अभियुक्त/प्रार्थी दिनांक 21–12–2025 से जिला कारागार रामपुर में निरूद्ध है।अभियुक्त/प्रार्थी द्वारा मृतका से कभी भी दहेज की मांग नहीं की गई थी और न ही किसी प्रकार से प्रताड़ित किया गया है।अभियुक्त/प्रार्थी की पत्नी गुस्सैल प्रवृत्ति की थी और उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती थी, मृतका अपने मायके में जाकर बसने को कहा करती थी, अभियुक्त/प्रार्थी के माता–पिता बुजुर्ग है, उनकी देखभाल करने के कारण वह उसके मायके में जाकर रहने के लिए मना करता था। अभियुक्त/प्रार्थी रेलवे के ठेकेदार के यहाँ जे०सी०बी० चलाने का कार्य करता है और घटना के समय भी ठेकेदार के पास कार्य कर रहा था। प्रथम सूचना रिपोर्ट दो दिन के विलम्ब से सोच–समझकर राय मशवरा करके लिखायी गयी है और विलम्ब का स्पष्ट कारण प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित नहीं किया है।मृतका द्वारा आवेश में आकर स्वंय ही आत्महत्या कारित कर ली गई थी, जिसकी सूचना मृतका के परिवार वालों को दी गई थी। सूचना पर मृतका के मायके वाले अभियुक्त/प्रार्थी के घर आये समझौता करने का दवाब बनाते हुए जमीन बच्चों के नाम कराने के लिए कहा, मना करने पर यह झूठा मुकदमा पंजीकृत कराया। प्रथम सूचना रिपोर्ट में मृतका की गला दबाकर हत्या करने वाली बात कही गई है, लेकिन पोस्टमार्टम में गला दबाने वाली बात प्रकाश में नहीं आई है और मृत्यु का कारण स्पष्ट न होने के कारण विसरा संरक्षित किया गया है। अभियुक्त/प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अतः अभियुक्त/प्रार्थी को जमानत पर रिहा किया जाए।

अभियुक्त/प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि वह निर्दोष है।उसे झूठा

Digitally signed by BHANU DEO SHARMA
Date: 2026.03.16 17:13:06 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

फंसाया गया है। उनका तर्क है कि अभियुक्त/प्रार्थी द्वारा मृतका से कभी भी दहेज की मांग नहीं की गई थी और न ही किसी प्रकार से प्रताड़ित किया गया है।अभियुक्त/ प्रार्थी की पत्नी गुस्सैल प्रवृत्ति की थी और उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती थी, मृतका अपने मायके में जाकर बसने को कहा करती थी, अभियुक्त/ प्रार्थी के माता–पिता बुजुर्ग है, उनकी देखभाल करने के कारण वह उसके मायके में जाकर रहने के लिए मना करता था। अभियुक्त/प्रार्थी रेलवे के ठेकेदार के यहाँ जे०सी०बी० चलाने का कार्य करता है और घटना के समय भी ठेकेदार के पास कार्य कर रहा था। प्रथम सूचना रिपोर्ट दो दिन के विलम्ब से सोच–समझकर राय मशवरा करके लिखायी गयी है और विलम्ब का स्पष्ट कारण प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित नहीं किया है। मृतका द्वारा आवेश में आकर स्वंय ही आत्महत्या कारित कर ली गई थी, जिसकी सूचना मृतका के परिवार वालों को दी गई थी। सूचना पर मृतका के मायके वाले अभियुक्त/ प्रार्थी के घर आये समझौता करने का दवाब बनाते हुए जमीन बच्चों के नाम कराने के लिए कहा, मना करने पर यह झूठा मुकदमा पंजीकृत कराया। प्रथम सूचना रिपोर्ट में मृतका की गला दबाकर हत्या करने वाली बात कही गई है, लेकिन पोस्टमार्टम में गला दबाने वाली बात प्रकाश में नहीं आई है और मृत्यु का कारण स्पष्ट न होने के कारण विसरा संरक्षित किया गया है।अभियुक्त/प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अतः अभियुक्त/प्रार्थी को जमानत पर रिहा किया जाए।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता(दाण्डिक) ने उपरोक्त तर्को का विरोध किया और यह तर्क प्रस्तुत किया कि अभियुक्त/प्रार्थी मृतका का पति है। मृतका की मृत्यु से पूर्व मृतका को अभियुक्त/प्रार्थी सहित अन्य अभियुक्तगण द्वारा अतिरिक्त दहेज के रूप में चार पहिया व दो लाख रूपये नकद की मांग करने और मांग पूरी न होने पर प्रताड़ित करने का साक्ष्य विवेचना में संकलित हुआ है। उनका तर्क है कि अभियुक्त/ प्रार्थी की घटना में संलिप्तता का साक्ष्य विवेचना में संकलित हुआ है।मृतका की मृत्यु विवाह के सात वर्ष के अन्दर अभियुक्त/प्रार्थी के घर के अन्दर होने का साक्ष्य विवेचना में संकलित है। उनका तर्क है कि मृतका को अतिरिक्त दहेज की मांग के लिए घटना से ठीक पूर्व प्रताड़ित किये जाने का साक्ष्य विवेचना में संकलित हुआ है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाए।

उभयपक्षों के तर्को को सुना एवं अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

संक्षेप में अभियोजन कथानक वादी मुकदमा राकेश पुत्र झांझनलाल की ओर से दिनांक 01–12–2025 को इस आशय से पंजीकृत करायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट से प्रारम्भ हुआ कि वादी मुकदमा ने अपनी पुत्री आरती की शादी वर्ष 2021 में राजू पुत्र सोमपाल के साथ की थी तथा शादी में अपनी हैसियत के अनुसार दान दहेज दिया था।परन्तु दिये गये दान दहेज से आरती का पति राजू, देवर बब्लू, ससुर सोमपाल सास जावित्री, ननद विमलेश, नन्दोई प्रदीप खुश नहीं थे और दहेज में दो लाख रूपये नकद व एक कार की मांग कर रहे थे। वादी मुकदमा की पुत्री ने विरोध किया, तो सभी लोग उसके साथ मारपीट कर उसे मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते थे। इन लोगों ने लगभग दो माह पूर्व वादी मुकदमा की पुत्री को मारपीट कर घर से निकाल दिया। वादी मुकदमा ने अपनी बेटी का घर बसाने की खातिर मुल्जिमान को एक लाख

रूपये नकद दिए और एक लाख रूपये बाद में देने के लिए समय मांगा। मुल्जिमान की वादी मुकदमा की पुत्री के प्रति प्रताड़ना कम नहीं हुई और दिनांक 29-11-2025 को रात्रि में वादी मुकदमा का सूचना मिली कि उसकी बेटी आरती की उसके ससुराल वालों ने गला घोटकर हत्या कर दी। उक्त सूचना पर वादी मुकदमा अपने परिवार के साथ अपनी बेटी की ससुराल पहुँचा, तो उसकी बेटी आंगन में मृत अवस्था में पड़ी थी और घर से सभी लोग फरार थे। वादी मुकदमा ने आस पास जानकारी की, तो लोगों ने बताया कि आरती के पति राजू, देवर बब्लू, ससुर सोमपाल, सास जावित्री, ननद विमलेश व नन्दोई प्रदीन ने मिलकर दहेज की खातिर वादी मुकदमा की पुत्री की गला घोटकर हत्या कर दी है।

मृतका की मृत्यु विवाह के सात वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा होने का साक्ष्य विवेचना में संकलित हुआ है। मृतका की मृत्यु से ठीक पूर्व उसे अतिरिक्त दहेज की मांग की पूर्ति के लिए प्रताड़ित किए जाने का भी साक्ष्य विवेचना में संकलित है। अभियुक्त/प्रार्थी की घटना में संलिप्तता का साक्ष्य विवेचना में प्रकट हुआ है। अभियुक्त/प्रार्थी मृतका का पति है। मामले में मृतका की मृत्यु अभियुक्त/प्रार्थी के घर के अन्दर होना अभियोजन प्रपत्रों में दर्शित है। मामले में उपरान्त विवेचना आरोपपत्र प्रेषित किया जा चुका है।

अतः मामले के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों तथा सुरक्षित विचारण को दृष्टिगत रखते हुए इस स्तर पर अभियुक्त/प्रार्थी को जमानत प्रदत्त किए जाने का कोई पर्याप्त व न्यायोचित आधार प्रकट नहीं होता है।

तद्नुसार जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है।

अभियुक्त/प्रार्थी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक 16-03-2026

(भानु देव शर्मा)
सत्र न्यायाधीश,
रामपुर।
J.O.Code-UP 6545